संख्या:16/2015/465(2)/छप्पन-2015-93/13टी0सी0-।।

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-38 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1259/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/15, दिनांक 19-3-2015 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 4,50,000/- (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय	धनराशि (हजार रूपये में)
15- मोटर गाडियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीद	450
कुल योग (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र)	450

2- उपर्युक्त धनराशि का पुनर्विनियोग शासन के पत्र संख्या-465/छप्पन-2015-93/13 टी0सी0-।।, दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा करा लिया गया है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 38 के राजस्व लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-1 में इंगित मानक मद के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि इंगित लेखा शीर्षक की "04-यात्रा व्यय में होने वाली बचतों के पुर्नविनियोग से वहन किया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-297/दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 16/2015/465(3)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।